(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1552–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–16 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लश्कर ग्वालियर, प्रकरण कमांक 10/2015–16/अपील

.....

1–जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व0श्री हरविलास
2–सतेन्द्रसिंह पुत्र स्व0श्री हरविलास
3–श्रीमती सुगमतादेवी पत्नी स्व0श्री हरविलास
निवासीगण गाम गुढा तहसील व परगना जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

करतारसिंह पुत्र श्री दीवानसिंह
निवासी ग्राम गुढा पुलिया लश्कर ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री के0पी0शर्मा, अभिभाषकगण–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा पंजी कमांक 80/10–12–2015 पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2016 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 11–3–2016 को प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–5–16 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा

किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी और जानकारी का स्त्रोत नहीं दर्शाया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि विलम्ब क्षमा करने में बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं कराया गया है और इस बीच विक्रेता भूमिस्वामी की मृत्यु होने के कारण वारिसान नामान्तरण हो गया है और ऐसे नामान्तरण को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है और आवेदक को व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बहुत ही अल्प विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई थी और ऐसी स्थिति में अपील का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं कर गुणदोष के आधार पर करना चाहिये । इस दृष्टि से भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की गई थी किन्तु नामान्तरण नहीं करा पाने से विक्रेता के वारिसानों द्वारा फौती नामान्तरण करा लिया गया । अतः स्पष्ट है कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है । उपरोक्त स्थिति पर

विचार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जो वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर